फा.सं. 12(2)/2020-ई।।(ए)
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
ई.।।(ए) अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12 अक्तूबर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

**विषय: ब्लॉक 2018-21 के दौरान केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के स्थान पर समकक्ष विशेष नकद पैकेज।**

कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा उसके परिणामस्वरूप देशव्यापी लॉकडाउन तथा साथ ही परिवहन और आथित्य-सत्कार के क्षेत्र में आई बाधाओं तथा सामाजिक दूरी की आवश्यकता का पालन करने को ध्यान में रखते हुए, कई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्ष 2018-21 के वर्तमान ब्लॉक में एलटीसी के लिए भारत के किसी भी स्थान अथवा अपने गृह नगर की यात्रा करने में असमर्थ हैं।

2. केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को इसकी प्रतिपूर्ति करने और उपभोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, जिससे खर्च करने को बढ़ावा मिले, यह निर्णय लिया गया है कि एलटीसी के बराबर नकद राशि, जिसमें छुट्टी का नकद भुगतान तथा पात्रता के अनुसार एलटीसी किराया शामिल है, का प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जा सकता है, यदि कोई कर्मचारी ब्लॉक 2018-21 में एक एलटीसी के स्थान पर निम्नलिखित स्थितियों का विकल्प चुनता है:-

(क) कर्मचारी वास्तविक व्यय के रूप में एलटीसी की पात्रता से अधिक राशि खर्च करता है।

(ख) छुट्टी के पूर्ण नकद भुगतान के बराबर नकद दिया जाएगा यदि कर्मचारी द्वारा इसके बराबर राशि खर्च की जाती है। इसकी गणना किसी कर्मचारी को एलटीसी पर दी जाने वाली छुट्टी के नकद भुगतान की संख्या के अनुसार की जाएगी।

(ग) इस प्रयोजन के लिए मानित एलटीसी किराया नीचे दिया गया है:-

| कर्मचारियों की श्रेणी | प्रति व्यक्ति मानित एलटीसी किराया (राउंड ट्रिप) |
|---|---|
| कर्मचारी जो बिजनेस श्रेणी के हवाई यात्रा किराए के पात्र हैं | रु. 36,000 |
| कर्मचारी जो इकोनॉमी श्रेणी के हवाई यात्रा किराए के पात्र हैं | रु. 20,000 |
| कर्मचारी जो रेल यात्रा किराए के पात्र हैं | रु. 6,000 |

(घ) समान नकद राशि की अनुमति दी जा सकती है यदि कर्मचारी ऊपर दिए गए किराए के मूल्य से **3 गुना** राशि खर्च करता है।

(ड.) छुट्टी के नकद भुगतान तथा किराए दोनों के लिए राशि तभी स्वीकार्य होगी यदि कर्मचारी (i) छुट्टी के नकद भुगतान के मूल्य के बराबर राशि और; (ii) मानित किराए, जैसा ऊपर दर्शाए अनुसार ऐसी मदों की खरीद/ ऐसी सेवाओं का उपयोग करने, जिसमें जीएसटी पंजीकृत विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं से 12% से कम जीएसटी दर

न हो, के बराबर डिजिटल मोड द्वारा नकद की 3 गुना राशि खर्च करता है तथा जीएसटी नंबर और अदा की गई जीएसटी राशि दर्शाते हुए एक वाउचर प्राप्त करता है।

(च) स्वीकार्य भुगतान पैकेज के पूरे मूल्य (एलटीसी तथा मानित किराए के लिए स्वीकार्य छुट्टी का नकद भुगतान) तक सीमित होगा अथवा **अनुबंध-क** में दिए गए उदाहरण के अनुसार किए गए खर्च पर निर्भर होगा।

(छ) यद्यपि छुट्टी के नकद भुगतान के मामले में टीडीएस लागू है, क्योंकि एलटीसी किराए की प्रतिपूर्ति मानित वास्तविक यात्रा के बदले में है, इसमें एलटीसी किराए में उपलब्ध विद्यमान आयकर छूट के आधार पर छूट दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों में विधायी संशोधन का यथासमय प्रस्ताव किया जाएगा। अत: मानित एलटीसी किराए की प्रतिपूर्ति पर टीडीएस की कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. विभागाध्यक्ष/डीडीओ, इस आदेश के जारी होने के पश्चात् इस पैकेज का लाभ उठाने के इच्छुक कर्मचारियों से की गई खरीद/ली गई सेवाओं के बिलों के प्राप्त होने पर ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार इस पैकेज के अंतर्गत प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। **यह नोट किया जाए कि इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को छुट्टी का नकद भुगतान तथा एलटीसी किराया दोनों का विकल्प चुनना आवश्यक है।**

4. छुट्टी के नकद भुगतान की 100% राशि और अनुमानित किराए की 50% राशि का भुगतान अग्रिम तौर पर कर्मचारी के बैंक खाते में किया जाएगा जिसका निपटान माल एवं सेवाओं की खरीद और उपयोग की रसीदें प्रस्तुत करने पर किया जाएगा, जैसा कि पैरा 2(ड.) में दिया गया है। इस पैकेज (अग्रिम सहित अथवा अग्रिम के बिना) के तहत किए गए दावे और उनका निपटान मौजूदा वित्त वर्ष में ही किया जाएगा। अग्रिम का उपयोग न करने/ कम उपयोग करने का लेखा-जोखा डीडीओ द्वारा एलटीसी अग्रिम से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा अर्थात् उपयोग न करने के मामले में पूर्ण अग्रिम राशि की तत्काल वसूली और अग्रिम की उपयोग न की गई राशि की दंडात्मक ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

5. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2021 तक ही लागू रहेगा।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु से अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को उनकी सूचना/आवश्यक कार्रवाई के लिए अवगत कराएं।

बी.के. मंथन

(बी.के. मंथन)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

**अनुबंध-क**

**उदाहरण:**

**कर्मचारी का वेतन: रु.1,38,500 और परिवार के 4 सदस्यों को ईकोनॉमी श्रेणी से हवाई यात्रा करने का पात्र होने पर।**

अवकाश का नकद भुगतान: = $\frac{(1,38,500 \times 1.17) \times 10}{30}$ = रु. 54,015

किराया मूल्य : रु. 20,000 x 4 = रु. 80,000

कुल मूल्य = रु. 1,34,015

पूर्ण नकद लाभ के लिए खर्च की जाने वाली राशि = रु.54,015 + 2,40,000* = रु. 2,94,015

(क) अवकाश के नकद भुगतान का कुल हिस्सा = $\frac{54,015 \times 100}{2,94,015}$ = 18%

(ख) कुल किराए का हिस्सा = $\frac{80,000 \times 100}{2,94,015}$ = 27%

* नोशनल हवाई किराए का 3 गुना (80,000 x 3 = 2,40,000)

- इस प्रकार, यदि कोई कर्मचारी रु. 2,94,015 या उससे अधिक खर्च करता है, तो उसे रु.1,34,015 की नकद राशि दी जाएगी।

- तथापि, यदि कर्मचारी केवल रु. 2,40,000 ही खर्च करता है, तो उसे अवकाश के नकद भुगतान के हिसाब से 18% (रु. 43,200) और किराया मूल्य के हिसाब से 27% (रु. 64,800) की अनुमति दी जाएगी। भुगतान की जाने वाली कुल देय राशि रु. 1,08,000 होगी।

*****